



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-01042021-226324
CG-DL-W-01042021-226324

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 11] नई दिल्ली, मार्च 14—मार्च 20, 2021 शनिवार/फाल्गुन 23—फाल्गुन 29, 1942
No. 11] NEW DELHI, MARCH 14—MARCH 20, 2021, SATURDAY/PHALGUNA 23—PHALGUNA 29, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2021

का.आ. 213.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक, श्री मातम वेंकट राव (जन्म तिथि 3.7.1965) को दिनांक 1.3.2021 को या उसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/2/2020-वीओ.1]

एस. आर. मेहर, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 26th February, 2021

S.O. 213.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Matam Venkata Rao (date of birth: 3.7.1965), Executive Director, Canara Bank as Managing Director and Chief Executive Officer in Central Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office on or after 1.3.2021, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/2/2020-BO.I]

S. R. MEHAR, Director

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 214.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री स्वरूप कुमार साहा (जन्म तिथि 8.2.1967) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब नैशनल बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 214.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Swarup Kumar Saha (date of birth: 8.2.1967), Chief General Manager, Punjab National Bank as Executive Director in Punjab National Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 215.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री देवदत्त चंद (जन्म तिथि 31.1.1971) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, श्री मुरली रामास्वामी के स्थान पर बैंक आफ बड़ौदा में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 215.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Debadatta Chand (date of birth: 31.1.1971), Chief General Manager, Punjab National Bank as Executive Director in Bank of Baroda for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier vice Shri Murali Ramaswami.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 216.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य महाप्रबंधक श्री के. सत्यनारायण राजू (जन्म तिथि 28.12.1965) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 216.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri K. Satyanarayana Raju (date of birth: 28.12.1965), Chief General Manager, Bank of Baroda as Executive Director in Canara Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 217.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यूनियन बैंक आफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री नितेश रंजन (जन्म तिथि 11.11.1976) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूनियन बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 217.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Nitesh Ranjan (date of birth: 11.11.1976), Chief General Manager, Union Bank of India as Executive Director in Union Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier vice Shri Birupaksha Mishra.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 218.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यूनियन बैंक आफ इंडिया की मुख्य महाप्रबंधक सुश्री मोनिका कालिया (जन्म तिथि 26.2.1973) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 218.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Ms. Monika Kalia (date of birth: 26.2.1973), Chief General Manager, Union Bank of India as Executive Director in Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 219.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री स्वरूप दासगुप्ता (जन्म तिथि 24.2.1964) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 219.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Swarup Dasgupta (date of birth: 24.2.1964), General Manager, Bank of India as Executive Director in Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 220.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, इंडियन बैंक के महाप्रबंधक श्री एम. कार्तिकियन (जन्म तिथि 17.3.1965) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 220.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri M. Karthikeyan (date of birth: 17.3.1965), General Manager, Indian Bank as Executive Director in Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 221.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यूनियन बैंक आफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक श्री इशराक अली खान (जन्म तिथि 19.4.1963) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 30.4.2023) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, यूको बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 221.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Ishraq Ali Khan (date of birth: 19.4.1963), Chief General Manager, Union Bank of India as Executive Director in UCO Bank with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 30.4.2023), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 222.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री विवेक वाही (जन्म तिथि 15.9.1965) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 222.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Vivek Wahi (date of birth: 15.9.1965), General Manager, Bank of India as Executive Director in Central Bank of India for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 223.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, केनरा बैंक की मुख्य महाप्रबंधक सुश्री एस. श्रीमती (जन्म तिथि 22.5.1964) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इण्डियन ओवरसीज बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 223.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Ms S. Srimathy (date of birth: 22.5.1964), Chief General Manager, Canara Bank as Executive Director in Indian Overseas Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 224.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री बी. विजयकुमार ए. (जन्म तिथि 27.10.1963) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 31.10.2023) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले, श्री नागेश्वर राव वाई. के स्थान पर बैंक आफ महाराष्ट्र में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 224.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri B. Vijayakumar A. (date of birth: 27.10.1963), General Manager, Bank of India as Executive Director, Bank of Maharashtra with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 31.10.2023), or until further orders, whichever is earlier, vice Shri Nageswara Rao Y.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 225.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री राजीव पुरी (जन्म तिथि 14.6.1963) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 30.6.2023) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 225.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Rajeev Puri (date of birth: 14.6.1963), Chief General Manager, Punjab National Bank as Executive Director, Central Bank of India with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 30.6.2023), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 226.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, इंडियन बैंक के महाप्रबंधक श्री इमरान अमीन सिद्दीकी (जन्म तिथि 30.6.1964) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इंडियन बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 226.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Central Government hereby appoints Shri Imran Amin Siddiqui (date of birth: 30.6.1964), General Manager, Indian Bank as Executive Director, Indian Bank for a period of three years with effect from the date of assumption of office, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 227.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1980 के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, बैंक आफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री राघवेंद्र वेंकटेशेशन कोल्लेगल (जन्म तिथि 8.6.1963) को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने की तारीख (अर्थात् 30.6.2023) तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक में कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

[फा. सं. 4/3/2020-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 227.—In exercise of powers conferred by the proviso to clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, read with sub-paragraph (1) of paragraph 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, Central Government hereby appoints Shri Raghavendra Venkatesheshan Kollegal (date of birth: 8.6.1963), General Manager, Bank of India as Executive Director, Punjab and Sind Bank with effect from the date of assumption of office and up to the date of his attaining the age of superannuation (i.e., 30.6.2023), or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 4/3/2020-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.